

सिविल मिसेलेनियस

माननीय अदालत डी. के. महाजन और बालराज तुली, जे. जे.

आयकर आयोग, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, पटियाला, -याचिकाकर्ता  
बनाम

एम/एस दमयंती मेहता और यश राज मेहता (A.O.P.) सरहिंद, उत्तरदाता

1967 की आयकर संदर्भ संख्या 10

13 अक्टूबर, 1970

भारतीय आय-कर अधिनियम (1922 का 11)-धारा 33-ख (2) (क) और 34 (1) (a)- आयकर अधिकारी द्वारा जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस-करदाता द्वारा आपत्तियां दायर करना- आयकर अधिकारी आपत्तियों पर अपना दिमाग लगाने के बाद "दायर की गई कार्यवाही" आदेश पारित करता है-ऐसा आदेश-क्या धारा 34 के तहत पुनर्मूल्यांकन का आदेश है- आयकर आयुक्त-क्या धारा 33-बी (2) के तहत आदेश को संशोधित करने से रोक दिया गया है(a).

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले में यह तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना है कि 'दाखिल की गई कार्यवाहियां' या 'निपटाई गई कार्यवाहियां' या 'दायर की गई' या 'निपटाई गई' शब्दों का क्या अर्थ है? परिस्थितियों के एक समूह में वे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के क्रम के बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य परिस्थितियों में ये वाक्यांश मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के क्रम के बराबर हो सकते हैं। जहां एक आयकर अधिकारी आयकर अधिनियम 1922 की धारा 34 (1) (ए) के तहत एक नोटिस जारी करता है, और ऐसे नोटिस पर करदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर अपना दिमाग लगाने के बाद, एक आदेश "दायर की गई कार्यवाही" पारित करता है, आदेश पुनर्मूल्यांकन के आदेश के बराबर है और आयकर आयुक्त अधिनियम की धारा 33-बी (2) (ए) के तहत ऐसे आदेश को संशोधित करने से वंचित है। (Para 9).

आयकर अपीलीय अधिकरण दिल्ली पीठ द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (1) के अधीन किया गया निर्देश-निर्धारण वर्ष 1960-61 के संबंध में 1965-66 के मामले आईटीए संख्या 795 से उद्भूत विधि के प्रश्न पर राय के लिए दिनांक 25 नवंबर, 1966 के उनके आदेश के द्वारा।

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, आयकर अधिकारी का आदेश" "दाखिल की गई कार्यवाही" "धारा 34 के प्रावधानों के तहत पुनर्मूल्यांकन का आदेश था और इसके परिणामस्वरूप आयकर आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1922 के उपखंड (2) (ए) धारा 33-बी के कारण आदेश को संशोधित करने से रोक दिया गया था?"

याचिकाकर्ता की ओर से डी. एन. अवस्थी और बी. एस. गुप्ता, अधिवक्ता।

जे. एन. कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान के साथ, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

## निर्णय

महाजन, जे. -

- 1) आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ 'ख' द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (1) के अधीन हमारी राय के लिए विधि का निम्नलिखित प्रश्न निर्दिष्ट किया गया है: - क्या तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, आयकर अधिकारी का आदेश 'दाखिल की गई कार्यवाही' धारा 34 के प्रावधानों के तहत पुनर्मूल्यांकन का आदेश था और इसके परिणामस्वरूप आयकर आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 33-बी के उपखंड (2) (ए) के कारण आदेश को संशोधित करने से रोक दिया गया था?
- 2) विवाद निर्धारण वर्ष 1960-61 से संबंधित है। श्री यश राज मेहता और श्रीमती. दमयंती मेहता और उनके बेटों के पास एक कारखाना था जिसमें जमीन, भवन और मशीनरी शामिल थी। दोनों पक्षों के शेयर बराबर थे। इस कारखाने को रुपये के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दिया गया था। मेसर्स मेहता ब्रदर्स को 20,000। किराये की आय का आकलन करदाताओं के हाथों में व्यक्तियों के एक संघ के रूप में उनकी स्थिति में किया जा रहा था। आरोप था कि कारखाने को 1 सितंबर, 1959 को 2 लाख रुपये में बेचा गया था। आयकर अधिकारी, जिसने निर्धारण वर्ष 1960-61 के लिए व्यक्तियों के संगम का निर्धारण पूरा कर लिया था, को उक्त लेन-देन के बारे में पता चला था, उसने सोचा कि लेन-देन में काफी मात्रा में लाभ शामिल था जो अधिनियम की धारा 10 (2) (vii) के तहत निर्धारण के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार उन्होंने निर्धारण वर्ष 1960-61 के लिए अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के अधीन एक नोटिस जारी किया। निर्धारिती ने धारा 34 के तहत इन कार्यवाहियों के लिए एक आपत्ति याचिका दायर की और यह रुख अपनाया कि बिक्री, वास्तव में, कुछ परिस्थितियों के कारण रद्द कर दी गई थी और इस तरह, 1 सितंबर, 1959 को कोई बिक्री नहीं हुई थी। इस प्रकार, धारा 10 (2) (viii) के तहत निर्धारण के लिए उत्तरदायी कोई लाभ नहीं था। इस आपत्ति को आयकर अधिकारी ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने 28 फरवरी, 1963 के अपने आदेश द्वारा कार्यवाही को रद्द कर दिया। हालाँकि, आयकर अधिकारी ने गुप्त आदेश पारित किया, अर्थात् 'कार्यवाही दायर'। वास्तव में, यह आदेश निर्धारिती का पत्र देखने के बाद दर्ज किया गया था। जब मामला आयकर आयुक्त के संज्ञान में आया, तो उन्होंने सोचा कि धारा 34 के तहत कार्यवाही दायर करने वाला आयकर अधिकारी का आदेश गलत और राजस्व के लिए प्रतिकूल था। इसके बाद आयुक्त ने धारा 33-बी के तहत कार्रवाई की और कार्यवाही दायर करने वाले आयकर अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें अधिनियम की धारा 34 (एल) (ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ, निर्धारिती द्वारा न्यायाधिकरण में अपील की गई थी। अधिकरण ने इष्टूरी अश्वथैया बनाम आय-कर अधिकारी, मैसूर राज्य (41 I.T.R. 539) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाहियों को दाखिल करने वाला आयकर अधिकारी का आदेश निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के आदेश के बराबर है और इसलिए आयुक्त द्वारा धारा 33-ख के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जा सकती हैं। विभाग अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट था और इस न्यायालय की राय के लिए इस आदेश के प्रारंभिक भाग में पहले से ही बताए गए विधि के प्रश्न के संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत आवेदन किया। इस तरह यह मामला हमारे सामने रखा गया है।
- 3) विभाग के विद्वान वकील श्री अवस्थी का तर्क है कि धारा 34 के तहत आयकर अधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश नहीं था और इसलिए धारा 33-बी (2) धारा 33-बी के तहत आयकर आयुक्त के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं है। (i). विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि आयकर अधिकारी का आदेश केवल पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश पारित किए बिना कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश

था। इन तर्कों को समझने के लिए, इस स्तर पर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना उचित होगा।

4) जहां तक यह सुसंगत है, धारा 33-ख (2) इस प्रकार पढ़ती है: "उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा-(क) धारा 34 के उपबंधों के अधीन किए गए पुनर्मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करने के लिए; धारा 34 (1) यदि-(क) आयकर अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारिती की ओर से किसी वर्ष के लिए धारा 22 के अधीन अपनी आय की विवरणी देने में चूक या विफलता के कारण या उस वर्ष के लिए उसके निर्धारण के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों, आय, लाभ या आय-कर से प्रभार्य अभिलाभ उस वर्ष के निर्धारण से बच गए हैं, तो वह खंड (क) के अधीन दाखिल किए गए मामलों में किसी भी समय ऐसी आय, लाभ या लाभ का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अग्रसर हो सकता है।"

5) इन प्रावधानों और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय का अधिनियम की धारा 34 के तहत पुनर्मूल्यांकन किया गया था। 1959 की कथित बिक्री के कारण, आयकर अधिकारी ने धारा 34 के तहत कार्य करना उचित समझा। उन्होंने इस संबंध में निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया। इसके बाद निर्धारिती ने अपनी आपत्तियों को प्राथमिकता दी और उनका रुख स्पष्ट और सरल था, अर्थात्, वास्तव में कोई बिक्री नहीं थी। निर्धारिती के इस रुख को आयकर अधिकारी ने स्वीकार कर लिया। जिस आधार पर धारा 34 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, उसे रद्द कर दिया गया था और इस स्थिति में आदेश 'कार्यवाही दायर' आयकर अधिकारी द्वारा पारित किया गया था। उस क्रम में, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्धारिती के पत्र का संदर्भ दिया। अतः पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में आय-कर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसा कोई आधार नहीं था जिसके आधार पर धारा 34 के अधीन कोई पुनर्निर्धारण किया जा सके। इस मामले के बारे में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह स्पष्ट रूप से एस्थुरी अश्वथैया बनाम आयकर अधिकारी (23 I.T.R. 82) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करता है। धारा 23 (1) के तहत एक मूल्यांकन कार्यवाही में एक समान आदेश मूल्यांकन के आदेश के बराबर माना गया था। उनके प्रभुओं की प्रासंगिक टिप्पणियाँ रिपोर्ट के पृष्ठ 543 पर हैं और संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं: –

"यह निवेदन कि पिछला विवरणी 8 सितंबर को प्रस्तुत किया गया था। 1952, 'निपटाया नहीं गया था' और जब तक उस विवरणी के अनुसार निर्धारण नहीं किया गया था, तब तक पुनर्मूल्यांकन के लिए धारा 34 (1) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था, हमारे निर्णय में कोई सार नहीं है। आयकर अधिकारी ने अपीलार्थियों द्वारा की गई उपधारा को स्वीकार करते हुए निर्धारण कार्यवाही का निपटारा कर दिया था कि उनके पास निर्धारण वर्ष 1950-51 के लिए कोई आय नहीं है। भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन, आय-कर अधिकारी के लिए, यदि वह संतुष्ट है कि धारा 22 के अधीन निर्धारिती द्वारा की गई विवरणी सही है, तो आय का निर्धारण करने और निर्धारिती द्वारा निर्धारिती की उपस्थिति या उसके द्वारा किसी साक्ष्य को प्रस्तुत किए बिना विवरणी के आधार पर देय राशि का निर्धारण करने के लिए खुला है। अपीलार्थियों ने दिनांक 8 सितंबर, 1952 की उस समय की विवरणी में कहा था कि उनके पास विचाराधीन वर्ष के लिए कोई आकलन योग्य आय नहीं है और इस विवरणी पर आयकर अधिकारी ने 'कार्यवाही नहीं' का आदेश पारित किया था। मामले की परिस्थितियों में इस तरह के आदेश का अर्थ था कि आयकर अधिकारी ने विवरणी स्वीकार कर ली और आय का आकलन 'शून्य' के रूप में किया। यदि इसके बाद आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण था कि अपीलार्थी उस वर्ष के लिए मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही

मायने में खुलासा करने में विफल रहे थे, तो यह उनके लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए एक नोटिस जारी करने के लिए खुला था।”

- 6) तर्क की समानता और समान तथ्यों पर अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि धारा 34 के तहत वर्तमान आदेश पुनर्मूल्यांकन के आदेश के बराबर है और हम इस निष्कर्ष से कोई पलायन नहीं देखते हैं। इसके अलावा अधिनियम के तहत मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के बीच कोई अंतर नहीं है। मूल्यांकन में पुनर्मूल्यांकन शामिल है।
- 7) विभाग के विद्वान वकील श्री अवस्थी ने एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। उस मामले के तथ्यों पर, उच्चतम न्यायालय के उनके अध्यक्ष इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुँचे कि कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई थी और विवरणी के अभाव में मूल्यांकन होने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब आयकर अधिकारी ने अपने 'सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन' का सहारा नहीं लिया था। यदि धारा 34 के अधीन सूचना के उत्तर में निर्धारिती आयकर अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ होता और आयकर अधिकारी ने कार्यवाही दायर की होती तो मामले में अब तक की स्थिति भिन्न हो सकती थी। हालांकि, कार्यवाही सक्रिय विचार के बाद दायर की गई थी। निर्धारिती ने अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया और इस दृष्टिकोण को आयकर अधिकारी का समर्थन मिला। इसलिए, एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कोई सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है।
- 8) विद्वान वकील ने तब आयकर आयुक्त, कलकत्ता बनाम बिधु भूषण सरकार में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया। एक बार फिर, इस मामले के तथ्यों का एस्थुरी अश्वथिध के मामले के तथ्यों के साथ कोई समानता नहीं है। विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय में निम्नलिखित अंश से यह स्पष्ट है: –

"हम समझते हैं कि आयुक्त के विद्वान वकील ने उचित रूप से तर्क दिया है कि, इस मामले की परिस्थितियों में, " "फाइल" "शब्द की व्याख्या 'निपटान' के समतुल्य के रूप में की जानी चाहिए, ताकि उस आदेश के बाद, 23 फरवरी, 1950 के नोटिस के आधार पर कोई कार्यवाही A.I.T.O. के समक्ष लंबित न रहे: प्रभावी रूप से, इसलिए, उन्होंने जो किया वह मूल्यांकन का कोई आदेश दिए बिना उनके समक्ष कार्यवाही को समाप्त करना था, इस आधार पर कि प्रश्न में आय के संबंध में मूल्यांकन का आदेश P.I.T.O द्वारा किया जाएगा: उनके सामने की कार्यवाही में।"

- 9) इस प्रकार प्रत्येक मामले में यह तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए कि 'दाखिल की गई कार्यवाहियां', या 'निपटाई गई कार्यवाहियां' या 'दायर की गई' या 'निपटाई गई' शब्दों का क्या अर्थ है? परिस्थितियों के एक समूह में वे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के क्रम के बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि परिस्थितियों के एक अन्य समूह में ये वाक्यांश मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के क्रम के बराबर हो सकते हैं। कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये शब्द "दाखिल की गई कार्यवाही" स्पष्ट रूप से पुनर्मूल्यांकन के आदेश के बराबर हैं। हम पहले ही उन परिस्थितियों का संकेत दे चुके हैं जिनमें यह गुप्त आदेश पारित किया गया था। वास्तव में, परिस्थितियों में! इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश वास्तव में गुप्त था क्योंकि यदि कोई अनुलग्नक 'क' की ओर मुड़ता है, तो 27 फरवरी, 1963 को यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारिती का पत्र देखा गया था और उसके बाद इसे 'दाखिल करने की कार्यवाही' दर्ज की जाती है। 28 फरवरी, 1963 को कार्यवाही वास्तव में दायर की गई थी। यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता

है कि आयकर अधिकारी ने अपने दिमाग को लागू किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1959 की कोई बिक्री नहीं थी, और यदि 1959 की कोई बिक्री नहीं थी, तो वह पुनर्मूल्यांकन आदेश द्वारा उन कार्यवाही को बंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे और यही उन्होंने किया है।

10) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हमें उस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देना चाहिए जो हमें संदर्भित किया गया है। निर्धारित अपनी लागतों का हकदार होगा जिसका आकलन रु। 150.

बाल राज तुली, जे

मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

*कार्तिक शर्मा*

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

*नूह, हरियाणा*